भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 294
बुधवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए पंचायतों को सहायता</u>

294. श्री राजेशभाई नारणभाई चुडासमाः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करने और स्थानीयकरण करने के लिए एक मेगावाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने वाली ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कोई योजना शुरू करने की कोई नीति/प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को स्थानीय विद्युत ग्रिडों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता हेतु गुजरात सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख): वर्तमान में, मंत्रालय के पास प्रोत्साहन देने और स्थानीय विद्युत उत्पादन के लिए एक मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा का उत्पादन कर सकने वाली ग्राम पंचायतों को वित्तयी सहायता प्रदान करने की योजना की शुरूआत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तथापि, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के घटक-क के अंतर्गत व्यक्तिगत किसान, सौर विद्युत विकासकर्ता, सहकारी समितियां, पंचायतें और किसान उत्पादक संगठन 2 मेगावाट तक की क्षमता के अक्षय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना कर सकते हैं।

इस घटक के अंतर्गत अक्षय विद्युत की खरीद के लिए डिस्कॉमों को 40 पैसे/केडब्ल्यूएच अथवा 6.60 लाख रु./मेगावाट/वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, खरीद आधारित प्रोत्साहन (पीबीआई) प्रदान किया जाता है। वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) को पीबीआई, संयंत्र की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत देश के प्रत्येक जिले में एक गांव को मॉडल सौर गांव के रूप में विकसित करने का भी घटक है। गांव का चयन उसकी चनौतीपूर्ण स्थिति के आधार पर किया जाएगा तथा चयनित गांव को सौर ऊर्जा चालित गांव में परिवर्तित करने के लिए 1 करोड़ रु. का केन्द्रीय अनुदान प्रदान किया जाएगा।

(ग) और (घ): हरित ऊर्जा कॉरीडोर (जीईसी) चरण-I के अंतर्गत गुजरात राज्य सहित आठ अक्षय ऊर्जा संपन्न राज्यों को इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली के सृजन की लागत के 40 प्रतिशत तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

जीईसी चरण-1 के तहत, गुजरात राज्य के लिए 2187 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1908 सीकेएम ट्रांसमिशन लाइनों और 7980 एमवीए क्षमता के सबस्टेशनों की स्थापना के लिए एक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है।

इसी प्रकार, हरित ऊर्जा कॉरीडोर (जीईसी) चरण-II के अंतर्गत गुजरात राज्य सहित सात राज्यों को इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली के सृजन की लागत के 33 प्रतिशत तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

जीईसी चरण-II के अंतर्गत, गुजरात राज्य के लिए 3636 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 2470 सीकेएम ट्रांसमिशन लाइनें और 7460 एमवीए क्षमता के सबस्टेशनों की स्थापना के लिए एक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है।

*****